



# सिर्फ मुर्गियों की जनसंख्या जानता है एमबीएमसी

## • पथु जनसंवर्धन कार्यालय से नहीं मिला पथुओं की जनसंख्या का डेटा

विनय द्वेरा | भाईंदर



कितनी गंभीर बात है कि 21वीं पशुधन जनगणना के आयोजन में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूरे ठाणे जिले में प्रथम स्थान लपक कर फूली नहीं समा रही मीरा भाईंदर मनपा (एमबीएमसी) को पता ही नहीं है कि शहर में पशुओं की जनसंख्या कितनी है।

पशु जनसंवर्धन कार्यालय (ठाणे) से डेटा नहीं मिला है। एमबीएमसी के पास वर्ष 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन जनगणना की सिर्फ

मुर्गों पालन की रिपोर्ट उपलब्ध होना एक गंभीर विषय है। देश और राज्य में पशुधन की संख्या और उनकी नस्तों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने

राज्य के पालतू पशुओं की संख्या और उनकी विशेषताओं का विस्तृत डेटा एकत्र किया जाता है। जनगणना में 16 मुख्य प्रजातियों के पशुओं को शामिल किया जाता है, जिनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, बोडा, कुत्ता, बिल्ली, खरागोश, खच्चर, गधा व अन्य शामिल हैं। इसके अलावा, मुर्गों पालन में मुर्गों, बत्तेख, टर्की, बटर, गिनी, शुतुरमुर्ग व अन्य शामिल हैं।

जगा होती है, जिसे 1 साल की गई जनगणना की रिपोर्ट बाद सार्वजनिक करने का नाम पर सिक्के पोल्डी का डेटा साझा किया गया है। अब करने के बाद भी 2019 में यदि अधिकारी सही कह रहे हैं तो बाकी यह जनकारी विषय है। यह बही बात हूँड़ की परीक्षा पास तो कर लिए, पर रिजल्ट नहीं दिया गया।

### अजब-गजब एमबीएमसी

हेरनी की बात है कि जनगणना करने वाली टीम को 35 लाख रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा करने वाली एमबीएमसी को खुद नहीं पता कि शहर में कितने पशु हैं।

### ये हैं आंकड़े

2019 की रिपोर्ट के अनुसार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पाले हुए मुर्गों, मुर्गियों और चूपों की संख्या कुल 4205 और शहरी भाग में 4246 है। बटेर 26 और तीतर 52 हैं।

### विशेषज्ञ की चिंता

डॉ. सुरेश येवले ने बताया कि एमबीएमसी के पास 20वीं पशुधन जनगणना की रिपोर्ट का अभाव एक बित्त का विषय है। इस रिपोर्ट के अभाव में संबंधित विषयों को पशुपालन और पशु कल्याण के लिए प्रभावी नीतियां और कार्यक्रम बनाने में कठिनाई हो सकती है।

## भिंवंडी-वाडा-मनोर मार्ग पर धूल की समस्या बढ़ी

प्रमोद पवार ने टैकर से पानी

छिड़कने की मांग की



उन्होंने कार्यकारी अधिवेशन (ठाणे), उपविधियां (भिंवंडी) और ठेकेदार प्रधानकों को लिखित शिकायत भी भेजी है।

## उत्तर भारतीय समाज सेवा संस्था के पदाधिकारियों की घोषणा

डीबीडी संवाददाता | भिंवंडी



देश का 'मानचेस्टर' कही जाने वाली पावरलूप और डीबीडी के संगठित करने और जनसमस्याओं के समाधान हेतु वरिष्ठ समाजसेवी एवं पत्रकार कृष्णगोपाल सिंह (दावा ठाकुर) के नेतृत्व में उत्तर भारतीय समाज को संगठित करने और जनसमस्याओं के संगठित करने और जनसमस्याओं के समाधान हेतु वरिष्ठ समाजसेवी एवं पत्रकार कृष्णगोपाल सिंह (दावा ठाकुर) के नेतृत्व में उत्तर भारतीय समाज सेवा संस्था (रजि.) का गठन किया गया है। ठाणे धर्मदायम आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत यह संस्था पूरी तरह गैर-राजनीतिक संगठन है।

संस्था के माध्यम से पदाधिकारियों की टीम द्वारा सुप्त हेल्प कैप, चश्मा वितरण, गोबर मिलाओं की सहायता, जलसंग्रह, विद्यार्थियों को पुस्तकों और ड्रेस वितरण, तथा प्रतिभासाली विद्यार्थियों का सम्मान जैसे अनेक जनहित कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। संगठन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक सेवा और सहयोग पहुँचाना है।

संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों की घोषणा ने लिया एकजुटता का संकल्प कार्यक्रम के दौरान संसाध्यक्ष कृष्णगोपाल सिंह ने सभी नवीनियत पदाधिकारियों को नियुक्तिपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अध्यक्ष बने अंजीत सिंह गढ़ी अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर भारतीय समाज सेवा संस्था (रजि.) का गठन किया गया है। ठाणे धर्मदायम आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत यह संस्था पूरी तरह गैर-राजनीतिक संगठन है।

नवनियुक्त पदाधिकारियों ने लिया एकजुटता का संकल्प कार्यक्रम के दौरान संसाध्यक्ष कृष्णगोपाल सिंह ने सभी नवीनियत पदाधिकारियों को नियुक्तिपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने उत्तर भारतीय समाज की प्रतीकों के लिए एक वरिष्ठ लिपिक प्रभाग के लिए एक वरिष्ठ लिपिक प्रभाग के लिए एक वरिष्ठ लिपिक और चार कानूनिक अधियंत्रण नियुक्त किया गया है। प्रत्येक प्रभाग के लिए एक वरिष्ठ लिपिक और चार कानूनिक अधियंत्रण नियुक्त किया गया है। प्रत्येक प्रभाग के लिए एक वरिष्ठ लिपिक और चार कानूनिक अधियंत्रण नियुक्त किया गया है।

ओपी यादव | विरार

विरार। वसई-विरार शहर महानगरपालिका द्वारा अनधिकृत नियमण और अंति-जोखिमपूर्ण इमारतों को हटाने के लिए नार आयुक्त के नियंत्रणसुना विशेष पथक गठित किया गया है। प्रत्येक प्रभाग के लिए एक वरिष्ठ लिपिक और चार कानूनिक अधियंत्रण नियुक्त किया गया है। प्रत्येक प्रभाग के लिए एक वरिष्ठ लिपिक और चार कानूनिक अधियंत्रण नियुक्त किया गया है। प्रत्येक प्रभाग के लिए एक वरिष्ठ लिपिक और चार कानूनिक अधियंत्रण नियुक्त किया गया है। प्रत्येक प्रभाग के लिए एक वरिष्ठ लिपिक और चार कानूनिक अधियंत्रण नियुक्त किया गया है।



### कार्गवाई में कई अवैध नियमण ढाहा एग

दिनांक 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक नगर आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त (उत्तर व दाक्षिण) और उत्तरायुक्त के मार्गदर्शन में कई प्रभागों में कार्गवाई की गई। प्रभाग समिति A क्षेत्र में विरार (प.) के एम.वी. इस्टेट स्थित अतिथोकादायक व अनधिकृत नियमण पर कार्गवाई करते हुए 600 वर्गफुट क्षेत्र का निष्कासन किया गया। प्रभाग समिति B क्षेत्र में मोरेगांव और आसपास के स्कॉलों (कांचन हाँस्यरुक्ल, ज्ञानदीप विद्यालय, मोरेश्वर विद्यालय) के पास खतरनाक नियमणों को हटाकर 1100 वर्गफुट क्षेत्र मुक्त कराया गया।

विभिन्न प्रभागों में जारी निष्कासन अभियान प्रभाग समिति D क्षेत्र (नवधर इंडस्ट्रियल, वसई पूर्व, गला नगर) में 222 वर्गफुट का निष्कासन किया गया। प्रभाग समिति E (निर्मल स्कॉल और होली क्रॉस स्कॉल के पास) में अनधिकृत शेड हटाकर 2025 वर्गफुट क्षेत्र का निष्कासन किया गया। प्रभाग समिति F क्षेत्र (जावर पाडा) में 2200 वर्गफुट नियमण परियाएं गया। प्रभाग समिति G क्षेत्र (वसई फाटा, सारीवली रोड, विंयोटी ड्रिंग से बापाणे ड्रिंग तक) में सबसे बड़ी कार्गवाई करते हुए 15,320 वर्गफुट क्षेत्र मुक्त कराया गया।

### कुल 20,532 वर्गफुट नियमण हटाया गया

इसके अलावा, प्रभाग समिति H क्षेत्र (उमेलान स्टेट सेट ऑफिसन स्कॉल) में 225 वर्गफुट, और प्रभाग समिति I क्षेत्र (वसई गांव, रमेशी, राजानी इमारत) में 650 वर्गफुट क्षेत्र से अवैध नियमण हटाया गया। कुल मिलाकर, 11 से 13 अक्टूबर 2025 के बीच वसई-विरार शहर महानगरपालिका द्वारा 20,532 वर्गफुट अनधिकृत एवं अंति-जोखिमपूर्ण नियमणों पर निष्कासन की कार्गवाई की गई।

डीबीडी संवाददाता | नवी मुंबई

नवी मुंबई के पूर्व उप महापौर और भाजपा नेता अनिल कौशिक के साथ जमीन खरीद सोडे में भट्टी का मामला सामने आया है। इस संबंध में उन्होंने 29 संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर वाशी पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने 400 वर्गमीटर (क्रमांक 203), सेक्टर-3 में 300 वर्गमीटर (क्रमांक 87), और सेक्टर-17 में 700 वर्गमीटर में से 305 वर्गमीटर भूखंड खरीदा था। इन सभी सोडों के लिए कंपनी ने कुल 1 करोड़ 47 लाख 75 हजार रुपए (चेक और नकद) के रूप में भुगतान किया। लेकिन जब जमीन का वास्तविक अवासी पुराना बुखारी था, तब पर चाला कि उक्त जमीन पहले ही किसी अन्य है। अनिल कौशिक की 'एस हॉम्स' नामक कंपनी है, जिसका कार्यालय वाशी सेक्टर-17 में स्थित है। कंपनी के निवेशक मंडल ने जमीन पर बड़ी अंजीत कर दी है कि किसी भी सोडों से भूपतेरी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि एस हॉम्स के निवेशक ने जमीन पर बड़ी अंजीत कर दी है। इसलिए अनिल कौशिक के 26 लोगों के खिलाफ वाशी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

### उल्लेखनीय है कि जमीन के बड़े दामों से बढ़ रही है टीपी

उल्लेखनीय है कि नवी मुंबई के अंतरराष्ट्र











